यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (गढ़वाल)** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (गढ़वाल)** के माह **12/2016** से माह **10/2020** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आशीष, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक **04.11.2020** से **12.11.2020** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

## भाग-I

**1. परिचयात्मकः-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजबहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक **22.12.2016** से **29.12.2016** तक श्री अविनाश चन्द्र कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसमें माह **04/2014** से **11/2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **12/2016** से **10/2020** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

**2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- इकाई द्वारा एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना के माध्यम से पेयजल योजनाओं से संबन्धित कार्य किए जाते हैं। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत पौड़ी जिले के पौड़ी, पाबौ, खिर्सू तथा थलीसैण विकास खण्ड शामिल हैं।

**(ii) (अ)** विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

***(धनराशि `लाख में)***

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | | गैर स्थापना | | बचत/ आधिक्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | बचत/ आधिक्य | आवंटन | व्यय | |
| 2016-17 | 83.795 | 228.351 | 370.462 | 334.276 | 119.981 | 1130.927 | 1212.445 | 146.833 |
| 2017-18 | 119.981 | 146.833 | 253.870 | 334.136 | 39.715 | 1481.799 | 1301.413 | 327.219 |
| 2018-19 | 39.715 | 327.219 | 358.929 | 362.077 | 36.567 | 1606.147 | 1212.231 | 721.135 |
| 2019-20 | 36.567 | 721.135 | 377.823 | 378.317 | 36.073 | 1360.632 | 1427.598 | 654.169 |
| 2020-21 (upto 10/2020) | 36.073 | 654.169 | 224.109 | 225.307 | 34.875 | 206.554 | 355.244 | 505.479 |

**(ब)** केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

| योजना का नाम | 2016-17 | | | 2017-18 | | | 2018-19 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रारंभिक अवशेष | प्राप्ति | व्यय | प्रारंभिक अवशेष | प्राप्ति | व्यय | प्रारंभिक अवशेष | प्राप्ति | व्यय |
| **NRDWP** | 34.050 | 359.327 | 385.030 | 8.347 | 996.918 | 772.171 | 233.094 | 717.603 | 567.696 |
| **NABARD** | 0.000 | 539.670 | 452.838 | 86.832 | 262.390 | 346.980 | 2.242 | 702.820 | 465.819 |
| **Jal Jeevan Mission** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

***(धनराशि ` लाख में)***

| योजना का नाम | 2019-20 | | | 2020-21 (Upto 10/2020) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रारंभिक अवशेष | प्राप्ति | व्यय | प्रारंभिक अवशेष | प्राप्ति | व्यय |
| **NRDWP** | 383.001 | 277.718 | 650.612 | 10.107 | 0.000 | 10.107 |
| **NABARD** | 239.243 | 819.321 | 607.633 | 450.931 | 0.074 | 96.589 |
| **Jal Jeevan Mission** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 123.616 | 123.616 |

(i) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना के माध्यम से पेयजल योजनाओं से संबन्धित कार्य किए जाते हैं। इकाई को बजट का आवंटन भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई **"ब"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत है:- **सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता (अध्यक्ष)→प्रबन्ध निदेशक, मुख्य महाप्रबन्धक/ मुख्य अभियन्ता→महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता→परियोजना प्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता→परियोजना अभियन्ता/सहायक अभियन्ता→अपर परियोजना अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता→सहायक परियोजना अभियन्ता / कनिष्ठ अभियन्ता।**

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में इकाई द्वारा एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना के माध्यम से पेयजल योजनाओं से संबन्धित कराये गये निर्माण कार्यों की जांच की गई। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (गढ़वाल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2018** एवं **03/2019** (व्यय) तथा **07/2018** एवं **03/2020** (आय) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना से संबन्धित निर्माण कार्यों का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

**(स)** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

## भाग – II (अ)

**प्रस्तर 1: पेयजल योजना के निर्माण में देरी के परिणामस्वरूप 1841 परिवारों का स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से वंचित रहना ।**

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डबल्यू.पी.) के अंतर्गत जनपद – पौड़ी विकासखण्ड पाबो/ पौड़ी की कोला-पातल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना (बहुल ग्राम योजना) हेतु रुपये 2908.55 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा फरवरी 2015 में प्रदान की गयी थी। उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के 41 गावों एवं 20 तोकों के निवासियों[1] को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति से लाभान्वित किया जाना था। योजना के स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार, कार्य को 24 माह के भीतर पूर्ण किया जाना था तथा क्रियान्वयन के पश्चात योजना से लाभान्वित परिवारों से रुपये 23.56 लाख के राजस्व (जल मूल्य) की प्राप्ति वार्षिक रूप से की जानी थी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर (गढ़वाल) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (माह–11/2020) से ज्ञात हुआ था कि उक्त योजना के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा दो अनुबंधों[2] का गठन क्रमश दिनाँक - 11.09.2015 एवं 25.01.2019 को किया गया था जिनके सापेक्ष कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि क्रमश: 10.03.2017 एवं 24.01.2020 थी।

योजना के स्वीकृत प्राक्कलन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा उक्त कार्य को माह – 09/2017 तक पूर्ण कर क्षेत्रवासियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। परंतु लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया था कि योजना को पूर्ण किए जाने की निर्धारित अवधि[3] बीतने के 38 माह पश्चात भी विभाग द्वारा उक्त दोनों अनुबंधों में से किसी के सापेक्ष भी कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका था। लेखापरीक्षा तिथि तक अनुबंध संख्या - 04/SE/2015-16 के सापेक्ष कार्य की Testing एवं Commissioning किया जाना शेष था तथा अनुबंध संख्या - 02/SE/2018-19 के अंतर्गत 2864 परिवारों के सापेक्ष केवल 1023 परिवारों को ही जल संयोजन उपलब्ध कराये जा सके थे। योजना की Testing एवं Commissioning का कार्य प्रगति में होने के कारण जिन परिवारों को जल संयोजन उपलब्ध कराये जा चुके थे उनसे भी जल मूल्य की वसूली नहीं की जा रही थी। योजना के स्वीकृत प्राक्कलन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य को समय से पूर्ण न किए जाने के कारण जहां एक ओर 1841 परिवार[4] स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति से वंचित थे वहीं दूसरी ओर जल मूल्य की वसूली के रूप में रुपये 72.63 लाख[5] के राजस्व की प्राप्ति नहीं की जा सही थी। उपरोक्त के अतिरिक्त, ठेकेदार द्वारा अनुबंध संख्या - 04/SE/2015-16 के कार्यों का बीमा नहीं कराया गया था तथा ठेकेदार द्वारा अनुबंध के सापेक्ष प्रस्तुत की गयी ज़मानत धनराशि (Bank Guarantee) की वैधता भी दिनाँक – 02.09.2020 को समाप्त हो गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया था कि अनुबंध संख्या - 04/SE/2015-16 के सापेक्ष सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका था तथा Testing एवं Commissioning कार्य प्रगति में था। कार्यस्थल में वर्तमान में विद्युत आपूर्ति निरंतर नहीं आने के कारण Testing एवं Commissioning के कार्य में विलम्ब हो रहा था। यह भी कि Commissioning के कार्य पूर्ण होने के

---

[1] वर्ष 2015, 2030 एवं 2045 तक क्रमश: 2864, 3723 एवं 4296 परिवारों को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित किया जाना था।

[2] (अनुबंध संख्या - 04/SE/2015-16 एवं 02/SE/2018-19)

[3] 24 माह (माह – 09/2015 से 09/2017)

[4] 2864 – 1023 = 1841

[5] राजस्व की हानि – 1805 परिवार x 37 माह x रुपये 108.75/परिवार/प्रतिमाह = 7262868.75

पश्चात जल मूल्य की वसूली आरम्भ कर दी जायेगी जिसके संबंध में उत्तराखण्ड शासन अभी स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त होने थे। बीमा तथा ज़मानत धनराशि के संबंध में विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि Bank Guarantee की वैधता बढ़ाने हेतु ठेकेदार से पत्राचार किया जा रहा है एवं भविष्य में सभी अनुबंधों का बीमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त योजना के अंतर्गत Testing एवं Commissioning सहित सभी कार्य 24 माह के भीतर पूर्ण किए जाने थे तथा निजी जल संयोजनों के मासिक जल मूल्य का निर्धारण योजना के प्राक्कलन में किया गया था जिसके अनुसार विभाग द्वारा लाभान्वित उपभोगताओं से जल मूल्य की वसूली की जानी थी।

अत: पेयजल योजना के निर्माण में देरी किए जाने के कारण 1841 परिवारों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति से वंचित रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग दो 'अ'

### प्रस्तर-2: नियमों की अनदेखी तथा विभागीय शिथिलता के कारण स्वीकृति के छ: वर्षों के बाद भी अपूर्ण व अवरुद्द कार्य निर्माण।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल विकास खंड खिर्सू में ढिकवालगाँव-खिर्सू ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति रु 2757.69 लाख हेतु प्रदान की गई थी (फरवरी 2014)। तत्पश्चात शासन द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर उक्त योजना नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक) कार्यक्रम के अधीन रु 1828.07 लाख हेतु वित्तपोषित किए जाने का निर्णय लिया गया (अप्रैल 2016) जिस में 17 प्रतिशत सेंटेज शामिल था। उक्त योजना के निर्माण हेतु इकाई को (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अंतर्गत 888.82 लाख तथा नाबार्ड के अंतर्गत रु 1828.07 लाख) कुल रु 2716.89 लाख अवमुक्त किए जा चुके थे।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर** की लेखापरीक्षा (नवम्बर 2020) के दौरान संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि उक्त कार्य के निष्पादन हेतु इकाई द्वारा दो अनुबंध गठित किए गए जिन के अंतर्गत कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादन के समय (नवम्बर 2020) तक अपूर्ण पाया गया, विवरण निमन्वत है:

**(रु लाख में)**

| अनुबंध संख्या | अनुबंध लागत | कार्य प्रारम्भ की तिथि | कार्य पूर्ण किए जाने की निर्धारित तिथि | अनुबंध के सापेक्ष भुगतान |
|---|---|---|---|---|
| 05/SE/2014 | 2144.71 | 16/09/2014 | 15/03/2016 | 1406.97 |
| 02/SE/17-18 | 344.92 | 09/12/2017 | 08/06/2018 | 371.06 |
| | 2489.63 | | | 1778.03 |

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नियमों के अंतर्गत केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

अभिलेखों के अवलोकन में आगे पाया गया कि वर्णित योजना के निर्माण हेतु 0.45 है0 वनभूमि थी जिसे जनवरी 2018 में उत्तराखंड पेयजल निगम को 15 वर्षों की लीज़ पर दिए जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त वनभूमि में ट्रीटमंट प्लांट, जलाशय एवं पंप हाउस तथा 3820 मीटर पाइप लाइन का बिछान किया जाना था। वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व वर्ष 2014 व 2017 में अनुबंध गठन तथा कार्य निष्पादन की कार्यवाही अनियमित थी। इस प्रकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नियमों की अनदेखी की गई।

अभिलेखों के अवलोकन में आगे पाया गया कि अनुबंध संख्या 05/SE/14-15 के अंतर्गत ठेकेदार मै॰ आर.के.ईंजी. द्वारा योजना के निर्माण व रखरखाव कार्यों हेतु performance security (अनुबंधित राशि के पाँच Bank Guarantee का नवीनीकरण प्रतिशत धनराशि रु 107.25 लाख) Bank Guarantee के रूप में अगस्त 2014 में जारी की गई थी जिस की वेदद्यता 01/09/2020 तक थी। चूंकि कार्य लेखापरीक्षा सम्पादन के समय तक अपूर्ण व अवरुद्द था, इस कारण वेदद्यता समाप्त होने से पूर्व Bank

Guarantee का नवीनीकरण किया जाना चाहिए था। ऐसा न किए जाने के फलस्वरूप अनुबंध की निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया गया।

अनुबंध के सैक्शन 04, जी°सी°सी° के बिन्दु 10, 11, 12 व 13 के अनुसार कार्य का Insurance ठेकेदार द्वारा किया जाना था तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में विभाग द्वारा ठेकेदार के व्यय पर Insurance संबंधी कारवाई की जानी थी। अभिलेखों में पाया गया कि वर्णित कार्य का Insurance न तो ठेकेदार द्वारा और न ही विभाग द्वारा कराया गया। इस प्रकार इकाई द्वारा ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

अभिलेखों के अवलोकन में आगे पाया गया कि संबन्धित ठेकेदारों को निर्माण कार्य में अनावश्यक विलम्ब के बावजूद बार बार समयवृद्दि प्रदान की गई। अनुबंध संख्या 05/SE/2014 के अंतर्गत कार्य पूर्ण किए जाने की निर्धारित तिथि मार्च 2016 से दिसम्बर 2019 तक रु 32.12 लाख का अर्थदण्ड अध्यारोपित करते हुए चार बार समयवृद्दि प्रदान की गई। इसी प्रकार अनुबंध संख्या 02/SE/17-18 के अंतर्गत रु 6.16 लाख का अर्थदण्ड अध्यारोपित करते हुए जुलाई 2019 तक समयवृद्दि प्रदान की गई। इस के बावजूद ठेकेदार द्वारा न केवल निम्न गुणवत्ता का कार्य निष्पादित किया अपितु लेखापरीक्षा सम्पादन के समय (नवम्बर 2020) तक भी कार्य अपूर्ण व अवरुद्द पाया गया।

उपरोक्त के संबंध में पूछी जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि ट्रीटमेंट स्थल की प्रस्तावित भूमि वर्ष 2013 में अतिवृष्टि में बाढ़ क्षेत्र में आ जाने के कारण एवं भूगर्भीय दृष्टि से असुरक्षित घोषित किए जाने के कारण स्थल परिवर्तित किया गया जिस की वनभूमि स्वीकृति वर्ष 2018 में मिली। उत्तर में आगे बताया गया कि योजना में केवल टेस्टिंग व कमीशनिंग के कार्य प्रगति पर हैं तथा बैंक गारंटी की वेदद्यता बढ़ाने हेतु पत्राचार किया जा रहा है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2013 में स्थल परिवर्तन के बाद वर्ष 2018 में वनभूमि की स्वीकृति प्राप्त हुई परंतु उक्त हस्तांतरण से पूर्व ही वर्ष 2014 व 2017 में अनुबंध गठन कर नियमों की अनदेखी की गई। इस के अतिरिक्त ठेकेदार के साथ किए गए पत्राचार से यह स्पष्ट था कि ठेकेदार द्वारा न तो अवशेष कार्य निष्पादित किए जा रहे थे और न त्रुटिपूर्ण निष्पादित कार्यों को ठीक कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा था। ऐसी अवस्था में ज़मानती धनराशि के रूप में Bank Guarantee का ससमय नवीनीकरण न किए जाने के फलस्वरूप ठेकेदार के विरुद्द कोई कारवाई करने में इकाई की असमर्थता स्पष्ट थी।

योजना संबंधी दोनों अनुबंधों के अंतर्गत कार्य निष्पादन क्रमशः मार्च 2016 व जून 2018 में पूर्ण हो जाना चाहिए था जो नियमों की अनदेखी तथा विभागीय शिथिलता के कारण स्वीकृति के छः वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद भी योजनान्तर्गत निर्माण कार्य अपूर्ण व अवरुद्द था।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**<u>भाग- 2(ब)</u>**

## प्रस्तर:1 – अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा धनराशि 74782.32 का कम भुगतान।

अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान का प्रावधान है, और इसी के समतुल्य मासिक अंशदान का प्रावधान नियोक्ता (Employer) द्वारा था, परंतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या: 169/42/XXVII (10)/2016/2019 दिनांक: 12 जून 2019 के द्वारा नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दिनांक: 01 अप्रैल 2019 से 10% से बढ़ाकर 14% (मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का) कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (गढ़वाल)। में उक्त पेंशन योजना में कार्यरत कार्मिकों के एनपीएस अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कार्मिकों के तो निर्धारित अंशदान (10%) की मासिक कटौती उनके वेतन से की जा रही है, परंतु 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता (Employer) द्वारा निर्धारित पूर्ण अंशदान (14%) मासिक रूप से कार्मिकों को नहीं दिया जा रहा है। इसके स्थान पर उन्हे पूर्व से लागू मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान को दिया जा रहा है। जिसकी वजह से कार्मिकों को प्रति माह 4% अंशदान का भुगतान कम हो रहा है। अर्थात उन्हे नियोक्ता की तरफ से 4% मासिक अंशदान कम प्राप्त हो रहा है।

उक्त योजना में वर्तमान में कार्यालय में कुल चार कार्मिक कार्यरत थे। जिनको 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता द्वारा कम भुगतान किए गए अंशदान की धनराशि की गणना जब लेखपरीक्षा द्वारा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर की गई, तो पाया गया कि नियोक्ता द्वारा उक्त सभी कार्मिकों को 01 अप्रैल 2019 से वर्तमान तक (09/2020) **कुल धनराशि ₹ 74782.32/- का कम भुगतान किया गया ।** <u>(चारो कार्मिकों के कम भुगतान का विवरण प्रस्तर के साथ संलग्न है, संलग्नक 1)</u>

उक्त सभी कार्मिकों के प्रकरण पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर मे बताया कि उक्त से संबंधित कोई दिशा निर्देश मुख्यालय से प्राप्त नहीं हुए। खंड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपप्ति की पुष्टि होती है। अत: <u>अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता (Employer) द्वारा कम भुगतान की गई धनराशि</u> **₹74782.32/-** का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग II-'ब'**

**प्रस्तर 2 : ठेकेदार के बिल से वाणिज्यकर की कटौती न करने के कारण शासन को `45,123/- के राजस्व की हानि।**

उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण विभाग -2 द्वारा अपने पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17-27(सामान्य)/2017 दिनांकित 05 सितम्बर 2017 के माध्यम से दिनांक 01.07.2017 से G.S.T. लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रक्रिया के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि "**दिनांक 30.06.2017 तक दाखिल एम.बी. के सम्बंध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम.बी. के सम्बंध में कर के दायित्व का निर्धारण जी.एस.टी. के प्रावधानों के अनुसार होगा।"**

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (गढ़वाल) के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा अनुबन्ध संख्या 08/AE/2016-17 के अन्तर्गत `8,15,300/- के व्ययोपरांत भिताई तिल्ली पेयजल योजना का कार्य कराया गया था। माप पुस्तिका के अनुसार कार्य दिनांक 30.04.2017 को पूर्ण किया गया था जिसकी माप दिनांक 30.06.2017 को की गई थी। चूंकि उपरोक्त कार्य को जी.एस.टी. प्रणाली लागू होने से पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया था, अतः उपरोक्त कार्य के भुगतान के समय उत्तराखण्ड Value Added Tax Act, 2005 की धारा 35 की उपधारा (1) के अनुसार ठेकेदार के बिल से 6% की दर से `48,918/- के वाणिज्यकर की कटौती की जानी थी परन्तु इकाई द्वारा केवल `3,795/- के वाणिज्यकर की ही कटौती की गई थी। इस प्रकार इकाई द्वारा `45,123/- के वाणिज्यकर की कम कटौती की गई थी जिसके कारण शासन को `45,123/- के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ठेकेदार द्वारा उपरोक्त कार्य के सापेक्ष 2% की दर से वाणिज्यकर की कटौती किए जाने का आदेश प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त 2% की दर से कटौती की गई थी परन्तु काफी खोजबीन के बाद भी उक्त पत्र नहीं मिल पाया। इकाई ने आगे बताया कि संबन्धित ठेकेदार से `45,123/- के वाणिज्यकर की वसूली कर राजकोष में जमा करा दी जायेगी।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि इकाई द्वारा केवल ठेकेदार के अग्रिम बिल से ही 2% की दर से वाणिज्यकर की कटौती की गई थी। ठेकेदार के प्रथम एवं अंतिम बिल से वाणिज्यकर की कोई भी कटौती नहीं की गई थी जिसके कारण शासन को वाणिज्यकर के रूप में मिलने वाले राजस्व `45,123/- की हानि हुई। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि ठेकेदार के बिल से 2% की दर से वाणिज्यकर की कटौती की जानी थी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## <u>भाग दो 'ब'</u>

**प्रस्तर-3: अनियमित कार्य निष्पादन रु 74.59 लाख ।**

जनपद पौड़ी गढ़वाल के पाबौ ब्लॉक में मणखोली पेयजल योजना हेतु वर्ष 2014-15 में गठित आगणन पर ज़िला योजना के अंतर्गत रु 78.46 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उक्त योजना हेतु निर्धारित/चयनित जलस्रोत 'मस्तधार तोक' में पानी कम होने के कारण उक्त स्रोत के विस्तारीकरण हेतु 06 किलोमीटर अतिरिक्त पेयजल लाइन की आवश्यकता मार्च 2019 में पाई गई जिस के लिए वर्ष 2019-20 में पुनरीक्षित प्राक्कलन रु 98.34 लाख हेतु तैयार किया गया जिसे टी ए सी जांच हेतु अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खंड, उत्तराखंड जल संस्थान, पौड़ी को प्रेषित किया गया था।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर** की लेखापरीक्षा (नवम्बर 2020) के दौरान संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन में निम्नवरणित अनियमितताएँ पायीं गईं:

- योजना के क्रियान्वयन संबंधी निविदा के आमंत्रण हेतु प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने की दृष्टि से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए था। ऐसा न करके अल्पकालीन निविदा आमंत्रित कर तीन अनुबंध गठित किएर गए जिन का विवरण निमन्वत है:

| अनुबंध संख्या | अनुबंधित लागत | कार्य प्रारम्भ की तिथि | कार्य समाप्ति की तिथि | अंतिम माप की तिथि | कुल भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/EE/2015-16 | 41.54 लाख | 25/02/2016 | 24/05/2016 | 11/04/2019 | 40.02 लाख |
| 01/EE/2018-19 | 10.00 लाख | 27/08/2018 | 26/02/2019 | 30/03/2019 | 7.01 लाख |
| 07/EE/2019-20 | 23.87 लाख | 02/12/2019 | 01/04/2020 | 17/03/2020 | 27.56 लाख |

- वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन के अंतर्गत रु 75.00 लाख से अधिक के कार्य हेतु अनुबंध अधीक्षण अभियंता स्तर से गठित किया जाना चाहिए था। अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि वर्णित योजना को टुकड़ों में बाँट कर अधिशासी अभियंता स्तर के 03 अनुबंध गठित किए गए। अतः वित्तीय अधिकारों के परिसीमन का उल्लंघन स्पष्ट रूप से किया गया।
- वर्ष 2015-16 में गठित अनुबंध के अंतर्गत कार्य अपूर्ण व अवरुद्द था जिस के लिए कई बार समय सीमा बढ़ाई गई तथा अप्रैल 2019 में अधूरे कार्य पर ही अंतमीकरण किया गया।
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के नियमों के अंतर्गत केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। उक्त योजना के निर्माण हेतु 0.6066 हे॰ वन भूमि थी जिस के गैर वानिकी कार्यों हेतु हस्तांतरित किए जाने के संबंध में नवम्बर 2017 में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त भूमि पर कार्य किए जाने के प्रयोजन हेतु केन्द्र से अनुमति मिलने से पूर्व ही उक्त भूमि पर कार्य निष्पादन के लिए अनुबंध गठित कर नियमों की अनदेखी की गई।
- स्रोत परिवर्तित किए जाने से विशिष्टियों में परिवर्तन स्वाभाविक था जिस के कारण कार्य मदों की मात्रा में भिन्नता तथा स्वीकृत मात्रा के सापेक्ष अधिक निष्पादन स्वाभाविक था। ऐसे में ससमय पुनरीक्षित आगणन गठित कर स्वीकृत कराना चाहिए था तथा पूर्व गठित अनुबंध निरस्त कर पूर्ण कार्य हेतु एक साथ नया अनुबंध गठित किए जाने की कारवाही की जानी चाहिए थी। ऐसा न कर के नियमों की अनदेखी की गई।

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि योजना के अंतर्गत लाभान्वित किए जाने वाले मणखोली ग्राम में त्वरित कारवाई करते हुए पेयजल उपलब्ध करने के उद्देश्य से अनुबंध गठित किया गया। वनभूमि हस्तांतरण प्रकरण में विलम्ब होने के पश्चात प्रस्तावित श्रोत के श्राव में निरंतर कमी के कारण जंप्रतिनिधियों के सुझाव पर अन्य श्रोत योजना हेतु प्रस्तावित किया गया। वित्तीय अधिकारों के परिसीमन का उल्लंघन किए जाने के संबंध में बताया गया कि तत्कालीन धन की उपलब्धता के आधार पर प्रथक प्रथक अनुबंध गठित किए गए। उत्तर में आगे बताया गया कि ठेकेदार द्वारा पूर्व में दी गई दरों पर गुणवत्तापूर्वक  कार्य संपादित किए जाने का आश्वासन दिए जाने के उपरांत गठित अनुबंध के अधीन निर्माण कार्य संपादित कराए गए।
उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी परिस्थिति में नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। स्रोत परिवर्तित होने से विशिष्टियों में बदलाव हुआ जिस के लिए  ससमय पुनरीक्षित आगणन गठित कर स्वीकृत कराना चाहिए था।  पुनरीक्षित आगणन मात्र धनराशि की स्वीकृति हेतु वर्ष 2019-20 में कार्य निष्पादित किए जाने के पश्चात गठित किया गया जो एक औपचारिकता थी परंतु कार्य निष्पादन मनमाने ढंग से कराया गया।

अतः रु 74.59 लाख के भुगतान के बावजूद कार्य निष्पादन में अनियमितता बरतने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

## भाग-III

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निमन्वत है**:-

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या | STAN प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|---|
| 59/2004-05 | NIL | 05 | NIL |
| 65/2005-06 | NIL | 07 | NIL |
| 45/2006-07 | NIL | 03 | NIL |
| 29/2007-08 | NIL | 02 | NIL |
| 08/2009-10 | 01, 02 | 01 | NIL |
| 106/2014-15 | NIL | 03 | 01 |
| 117/2016-17 | 01 | 04 | NIL |

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**:-

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| इकाई द्वारा पत्रांक संख्या 601/ए.आई.आर. 117-16-17/05 दिनांक 15.04.2017 के द्वारा अनुपालन आख्या अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी के माध्यम से विगत अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की गई है। | | | | |

## भाग – IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

## भाग – V
## आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (गढ़वाल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

| **क्रं.सं.** | **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|---|
| 01. | ई. संदीप कश्यप | अधिशासी अभियन्ता | 30.06.2015 से 21.06.2017 |
| 02. | ई. पी.सी. गौतम | अधिशासी अभियन्ता | 21.07.2017 से 15.10.2017 |
| 03. | ई. वी.के. कौशिक | अधिशासी अभियन्ता | 16.10.2017 से 11.09.2018 |
| 04. | ई. आर.सी. मिश्रा | अधिशासी अभियन्ता | 11.09.2018 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर (गढ़वाल)** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/09 दिनांकित 13.11.2020 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248 195** को प्रेषित कर दी जाये ।

**व. लेखापरीक्षा अधिकारी**
**AMG-II (Non-PSU)**